

राशमी, २०/०५/२०२१ को पेश हो

०८०१
२०२१

राशमी वकील शर्मा के निवेदन
पर दिनांक ०१/०५/२०२१ को
पेश हुई राशमी शर्मा द्वारा
दिए गए निवेदन के अधिनियम
अनुसार एक प्रार्थना पत्र पेश कर
निवेदन किया गया कि हम
हम न्यायालय के विद्यमान

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



पुनरुत्थान संस्था में 2019 में किसी
 प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं
 चलाई है। पुनरुत्थान को पूर्ण रूप
 पर कार्यवाही के लिए किचन
 का निवेदन किया गया। प्रजावली
 का अंश ~~अंश~~ किया। मजदूर
 किया। सभी शर्तें अपना रूप
 नहीं बनाया ~~चलाई~~ है। किसी
 दिवस में सभी का रूप अंत-
 र्गत द्वारा 13-188 RTA 1987
 को ~~अंश~~ में ~~अंश~~ किया
 जाया है। प्रजावली की ~~अंश~~
 दिवस को जल्द बाद ~~अंश~~
 कार्यवाही ~~अंश~~ में
 जावे। आपका ~~अंश~~
 में ~~अंश~~

रजिस्ट्रार
 2/10/2019
 प्रजावली

सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 रायसी